न्यायालयः—अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, के.पाटन, जिला बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— डॉ. ऋचा चायल, आर.जे.एस.
सी.आई.एस. नंबर :— Cri.Reg.Case/24/2021
सी एन आर नंबर :— RJBD080000472021

निर्णय दिनांकः—15.05.2026

आरक्षी केन्द्र के.पाटन, जिला बून्दी के मुकदमा संख्या 102/2020 अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 व धारा 4/21 एम.एम.डी.आर. एक्ट से उदभुत प्रकरण।

परिवादी	राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री राजकुमार डागर सहा. अभि. अधि.
अभियुक्त/अभियुक्तगण	**धनराज** पुत्र छीतरलाल, निवासी एवरा, पुलिस थाना गेण्डोली, जिला बून्दी (राज.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	रामकिशन प्रजापत, अधिवक्ता

अपराध की तिथि	05.03.2020
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	05.03.2020
आरोप पत्र की तिथि	11.01.2021
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	08.06.2022
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	03.03.2025
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	15.05.2026
निर्णय की तिथि	15.05.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	—

अभियुक्त का विवरण :—

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	अभियुक्त को गिरफ्तार करने की दिनांक	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	धनराज	05.03.2020	08.04.2020	धारा 379 भा.दं.सं., 1860 व धारा 4/21 एम.एम.डी.आर. एक्ट	—	—	35 दिवस

अभियोजन साक्ष्य की सूची :—

(क) अभियोजन साक्षी :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.—1	रामराज	फर्द जब्ती, फर्द गिरफ्तारी एवं नक्शा मौका साक्षी
अ.सा.—2	कैलाश सिंह	मालखाना साक्षी
अ.सा.—3	शिवराज	मौके की कार्यवाही करने वाला व फर्द जब्ती, फद् गिरफ्तारी एवं नक्शा मौका साक्षी
अ.सा.—4	नरेश	फर्द जब्ती, फर्द गिरफ्तारी एवं नक्शा मौका साक्षी
अ.सा.—5	रघुराज सिंह	अनुसंधानकर्ता

(ख) प्रतिरक्षा साक्षी :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
बचाव साक्षी —1	—	—

(ग) न्यायालय साक्षी :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
न्यायालय साक्षी—1	—	—

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

(क) अभियोजन :—

कम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्र.पी.—1	फर्द जब्ती एवं चैकिंग मय ट्रेक्टर मय ट्रोली मय अवैध बजरी
2.	प्र.पी.—2	फर्द गिरफ्तारी
3.	प्र.पी.—3	नक्शा मौका घटनास्थल
4.	प्र.पी.—4	तहरीरी रिपोर्ट
5.	प्र.पी.—4ए	मालखाना रजिस्टर की प्रति
6.	प्र.पी.—5	चाक एफआईआर
7.	प्र.पी.—6	आरसी की प्रति

(ख) प्रतिरक्षा :—

कम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	—	—

(ग) न्यायालय प्रदर्श :—

कम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	—	—

(घ) आवश्यक वस्तुयें :—

क्रम संख्या	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1.	—	—

— :: निर्णय ::—

1. प्रकरण के मूलतः तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 05.03.2020 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट जरिये फर्द चैकिंग एवं जप्ती थाना के.पाटन पर इस आशय की दर्ज हुई कि दिनांक 05.03.2020 को शिवराज स.उ.नि. मय जाप्ता नरेश कुमार कानि. 1080, रामराज कानि. 1059 मय प्राईवेट वाहन मय इन्वेस्टीगेशन बॉक्स मय लैपटॉप प्रिंटर के थाने से रवाना हो इलाका थाना गश्त व माईनर एक्ट की कार्यवाही हेतु गश्त इलाका थाना करता हुआ कस्बा के.पाटन बून्दी चौराहा से ईश्वर नगर पहुंचा, जहां जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक ट्रेक्टर मय ट्रोली नीले कलर का सोनालिका रजिस्ट्रेशन नंबर आर.जे. 23 आर. सी. 3079 सुवांसा की तरफ से बजरी से भरा हुआ आ रहा है, जिस पर उसने हमराही जाप्ता को सूचना से अवगत करवाकर सुवांसा की तरफ रवाना हुआ, जहां चितावा नहर के पास एक ट्रेक्टर नीले कलर का नंबर आर.जे. 23 आर. सी. 3079 मय ट्रोली के आता हुआ नजर आया, जिसको उसने हाथ का इशारा देकर जाप्ते की मदद से रोकना चाहा, तो पुलिस बावर्दी को देखकर ट्रेक्टर चालक ट्रेक्टर को भगाने लगा, जिसे जाप्ते की मदद से रोका व चालक का नाम पता पूछा तो अपना नाम धनराज पुत्र छीतरलाल होना बताया। ट्रेक्टर चालक से भागने का कारण पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। ट्रेक्टर ट्रोली में अवैध माल होने का अंदेशा होने से स्वतंत्र गवाहान की तलाश हेतु नरेश कुमार कानि. को स्वतंत्र गवाहान लाने हेतु भेजा, जिसने कुछ समय बाद वापस आकर बताया कि कानूनी पेचिदगियों के कारण कोई व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ, जिस पर हमराहा जाप्ते में से नरेश कुमार कानि. व रामराज कानि. को गवाह मामूर कर ट्रेक्टर मय ट्रोली की तलाशी ली तो ट्रोली में बजरी (रेत) भरी हुई मिली। जिस पर चालक धनराज से बजरी परिवहन व खनन करने के संबंध में खनिज रवन्ना व अनुज्ञा पत्र चाहा गया तो कोई रवन्ना व अनुज्ञा पत्र नहीं होना बताया तथा स्वयं ही रेत भरकर लाना बताया। ट्रेक्टर चालक द्वारा बिना रवन्ना व अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से बजरी का खनन कर परिवहन किया, जो अपराध धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 व 4/21 एम.एम.डी.आर. एक्ट का अपराध होने से वजह सबूत ट्रेक्टर नंबर आर.जे. 23 आर.सी. 3079 मय बजरी (रेत) से भरी ट्रोली को जब्त कर कब्जे पुलिस लिया गया व अभियुक्त धनराज को जरिये फर्द पृथक् से गिरफ्तार किया गया, इत्यादि।

2. उक्त तथ्यों के आधार पर आरक्षी केन्द्र के.पाटन में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—102/2020 दर्ज की गई और बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 379 भारतीय दंड संहिता 1860 (आगे भा.दं.सं. 1860 से विर्निदिष्ट

किया जायेगा) व धारा 4/21 एम.एम.डी.आर. एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया जाकर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। आरोप पत्र पर उपलब्ध सामग्री से अभियुक्त के विरूद्ध उपर्युक्त धाराओं का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. आरोप पत्र की सुस्पष्ट प्रति अभियुक्त के अधिवक्ता को उपलब्ध करवाई गई। गवाहान के बयान तथा उपलब्ध अन्य सामग्री के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 379 भा.दं.सं., 1860 व धारा 4/21 एम.एम.डी.आर. एक्ट का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर आरोप पृथक् से विरचित कर अभियुक्त को सुनाया समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोपित अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर प्रकरण साक्ष्य में नियत किया गया।

4. अभियोजन की ओर से कुल 05 साक्षी परीक्षित करवाये गये और प्रदर्श 1 से 06 तक प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये। पत्रावली पर अभियोजन की ओर से पेश की गई मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं., 1973 में परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने गवाहान द्वारा किये गये कथन गलत होना जाहिर किया है तथा कथन किया कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त की ओर से साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किया जिस पर साक्ष्य सफाई बंद की गई।

5. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिये हैं कि पत्रावली पर संलग्न समस्त साक्ष्य सामग्री से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

6. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा तर्क दिए गए कि हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा रेत के सैम्पल की कोई जांच उसके बजरी होने के संबंध में नहीं कराई गई है, जबकि इस संबंध में अभियोजन ने पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं की है। प्रकरण में जब्ती का कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं बनाया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित नहीं होने के कारण अभियुक्त को आरोपित अपराध में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

7. सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य के आधार पर न्यायालय को निम्न विचारणीय बिन्दु के संबंध में विवेचन करना है—

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 05.03.2020 को समय दिन के 2:37 बजे या उसके लगभग बमुकाम ग्राम चितावा नहर के पास, के.पाटन में राजकीय नियंत्रणाधीन सम्पत्ति खनिज बजरी (रेत) को बिना वैधानिक सहमति प्राप्त किए चोरी करने के आशय से कब्जे से हटाकर चुराया तथा खनिज बजरी (रेत) के खनन व परिवहन की रोक के संबंध में प्रख्यापित आदेश की जानकारी होने के बावजूद खनिज बजरी (रेत) को बिना वैधानिक सहमति प्राप्त किए अवैध खनन व परिवहन कर आदेश की अवहेलना की तथा राजकीय नियंत्रणाधीन सम्पत्ति खनिज बजरी (रेत) का अवैध खनन कर ट्रेक्टर ट्रोली में भरकर बिना वैधानिक सहमति प्राप्त किए परिवहन किया?

2. यदि हां, तो अभियुक्त के लिये उचित दण्ड क्या होगा?

8. अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष कुल 05 गवाहान् के बयान लेखबद्ध करवाये गये है। गवाह पी.डब्ल्यू—3 शिवराज मौके की कार्यवाही, प्रकरण का जब्ती, फर्द गिरफ्तारी व नक्शा मौका का गवाह है, पी.डब्ल्यू—4 नरेश, पी.डब्ल्यू—1 रामराज फर्द जब्ती ट्रेक्टर मय ट्रोली, फर्द गिरफ्तारी, नक्शा मौका घटनास्थल व चश्मदीद गवाहान है, पी.डब्ल्यू—2 कैलाश सिंह मालखाना साक्षी है, पी.डब्ल्यू—5 रघुराज सिंह हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है।

9. सर्वप्रथम जब्ती अधिकारी पी.डब्ल्यू—3 शिवराज के बयानों का अवलोकन किया गया, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि वह दिनांक 05.03.2020 को थाना के.पाटन में एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन वह मय जाब्ता, नरेश कुमार कानि., रामराज कानि. के मय अनुसंधान बॉक्स के प्राईवेट वाहन से समय 2:37 पीएम पर अवैध कार्यों की चैकिंग हेतु थाने से रवाना होकर गश्त करते हुए ईश्वर नगर चौराहा पहुंचे थे, जहां उसे जरिये मुखबीर सूचना मिली कि एक ट्रेक्टर मय ट्रोली नीले रंग का सोनालिका नंबर आर.जे. 23 आर.सी. 3079 सुवांसा की तरफ से बजरी से भरा हुआ आ रहा है। उसने सूचना से जाप्ते को अवगत कराकर मय जाप्ता रवाना होकर चितावा नहर के पास पहुंचे, तो एक ट्रेक्टर नीले रंग का नंबर आर.जे. 23 आर.सी. 3079 मय ट्रोली के आता नजर आया, जिसको उसने जाप्ते की मदद से रूकवाया। जिस पर ट्रेक्टर चालक ट्रेक्टर को भगाकर ले जाने लगा, जिसको उसने जाप्ते की मदद से पकडा व चालक से नाम पता पूछा तो अपना नाम धनराज पुत्र छीतरलाल मीणा होना बताया, जिससे भागने का कारण पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। उक्त ट्रेक्टर ट्रोली में अवैध माल होने का संदेह होने से उसने नरेश कानि. को स्वतंत्र गवाह लाने के लिये मौखिक आदेश देकर भेजा, जिसने कुछ समय बाद आकर बताया कि कानूनी पैचिदगियों के कारण कोई व्यक्ति गवाह बनने के लिये तैयार नहीं है, जिस पर उसने रामराज कानि. व नरेश कानि. को गवाह मामूरकर पकडे गये ट्रेक्टर मय

ट्रोली को चेक किया तो ट्रोली में बजरी भरी हुई मिली, जिसके सबंध में उसने चालक धनराज से अनुज्ञा पत्र या रवन्ना मांगा तो नहीं होना बताया। अभियुक्त का कृत्य धारा 379, 188 आईपीसी 4/21 एमएमआरडी एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध होने से उसने ट्रेक्टर मय ट्रोली रेत भरी हुई को जप्त कर अभियुक्त धनराज को गिरफतार कर मय माल मुलजिम थाने पर पहुंचकर उसने प्रकरण दर्ज कराया। फर्द जप्ती प्रदर्श पी—1 पर सी से डी उसके व ई से एफ अभियुक्त के हस्ताक्षर है। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी—2 पर सी से डी उसके व ई से एफ अभियुक्त के हस्ताक्षर है। घटनास्थल का नक्शा मौका दिनांक 05.03.2020 को रघुराज सिंह ने उसकी निशानदेही से बनाया जो प्रदर्श पी—3 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी—4 हैं जिस पर ऐ से बी कायमी मुकदमा अंकित हैं, सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं, ई से एफ आईसी थाना रघुराज सिंह एएसआई के हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी—5 है जिस पर ऐ से बी रघुराज सिंह के हस्ताक्षर है।

10. जिरह में गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि जब्तशुदा बजरी खनिज विभाग की थी या नहीं इस बारे में उसने बजरी की पहचान खनिज विभाग के अधिकारी से नहीं करवाई। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि जहां से अभियुक्त बजरी लाया उस स्थान पर वह अभियुक्त को लेकर नहीं गया। जिस स्थान से अभियुक्त बजरी भरकर लाया उस स्थान का अनुसंधान अधिकारी ने नक्शा मौका नहीं बनाया।

11. मौके के दोनों ही गवाहान पी.डब्ल्यू—1 रामराज तथा पी.डब्ल्यू—4 नरेश द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में मौके की समस्त कार्यवाही की पुष्टि करते हुए अभियुक्त के कब्जे से अवैध बजरी मय ट्रैक्टर नंबर आर.जे. 23 आर.सी. 3079 को जब्त करना दर्शित किया है। साथ ही गवाहान ने फर्द जब्ती प्रदर्श पी—1, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी—2, नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी—3 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना कथित किया है। साथ ही प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी रघुराज सिंह द्वारा मौके का नक्शा मौका जब्ती अधिकारी शिवराज की निशादेही से बतौर प्रदर्श पी—3 बनाया जाना जाकर स्वयं के हस्ताक्षर किया जाना दर्शित किया है।

12. जिरह में गवाह पी.डब्ल्यू—1 रामराज कथन करता है कि ट्रोली बजरी से भरी हुई थी। अभियुक्त बजरी कहां से लाया था वह नहीं बता सकता। उन्होंने तो बजरी चितावा नहर के पास पकड़ी थी। अभियुक्त उसके सामने आ जाये तो वह नहीं पहचान सकता। स्वतंत्र गवाह मामूर करने के लिए वह नहीं गया था, उसका साथी नरेश कानि. गया था। गवाह इस कथन को गलत होना बताता है कि सारी कार्यवाही एक ही दिन की गई हो, बल्कि नक्शा मौका जब्ती के दो दिन बाद बनाया था। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि ट्रोली उन्होंने दिनांक 05.03.2020 को जब्त की थी।

13. जिरह में गवाह पी.डब्ल्यू—4 नरेश कथन करता है कि ट्रोली बजरी से भरी जब्त की थी। उन्होंने अभियुक्त से पूछा था कि बजरी कहां से लेकर आया था। जहां से अभियुक्त बजरी भरकर लाया, वहां अभियुक्त को लेकर नहीं गए। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि बजरी के सैम्पल का कोई मिलान नहीं किया। आस—पास के लोगों से पूछताछ की थी, लेकिन कोई गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ था। स्वतंत्र गवाह मामूर करने के लिए भेजा था, परन्तु अपने बयानों में नहीं बताया।

14. गवाह पी.डब्ल्यू—2 कैलाश सिंह, जो कि मालखाना साक्षी है अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वहं दिनांक 05.03.2020 को थाना के.पाटन में एचएम मालखाना के पद पर कार्यरत था। उस दिन शिवराज एएसआई द्वारा प्रकरण संख्या 102/2020 में मुलजिम धनराज से जप्त एक ट्रेक्टर सोनालिका नंबर आर.जे. 23 आर.सी. 3079 मय ट्रोली रेत भरी हुई जमा मालखाना करने हेतु उसे दी थी, जिसे उसने असल मालखाना रजिस्टर के क्रम संख्या 95/20 दिनांक 05.03.2020 को इंद्राज कर जमा मालखाना किया। दिनांक 18.04.2020 को उक्त प्रकरण में जप्तशुदा ट्रेक्टर मय ट्रोली को न्यायालय के आदेश से वाहन स्वामी हरिप्रकाश मीणा को सुपुर्द किया। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी—4 है, जिसकी सत्यापित प्रति प्रदर्श पी—4ए है, जो शामिल पत्रावली है।

15. जिरह में गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि ट्रेक्टर के इंजन व चेचिस नंबर उसे याद नहीं है। ना ही उसने मालखाना रजिस्टर में इंजन व चेचिस नंबर अंकित किए।

16. गवाह पी.डब्ल्यू—5 रघुराज सिंह, जो कि हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 05.03.2020 को थाना के.पाटन में एएसआई के पद पर कार्यरत होकर थाना इंचार्ज था। उस दिन शिवराज एएसआई ने थाने पर उपस्थित होकर एक तहरीर रिपोर्ट मय फर्द जब्ती धारा 379, 188 आईपीसी व 4/21 एमएमआरडी एक्ट का बनना पाये जाने पर उसके द्वारा प्रकरण संख्या 102/2020 दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी—4 है जिस पर ए से बी कायमी मुकदमा, ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी—5 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान दिनांक 05.03.2020 को घटनास्थल का नक्शा मौका जब्ती अधिकारी शिवराज की निशादेही से बनाया जो प्रदर्श पी—3 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। बयान परिवादी शिवराज एएसआई, गवाह नरेश कानि., रामराज कानि. के उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए। नकल मालखाना रजिस्टर की सत्यापित प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। जब्तसुदा ट्रेक्टर की आरसी की फोटोप्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जो प्रदर्श पी—6 है जिस पर ए से बी वाहन स्वामी हरिप्रकाश के हस्ताक्षर है। अनुसंधान से अभियुक्त धनराज के विरूद्ध धारा 379 आईपीसी व 4/21 एमएमआरडी एक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली

थानाधिकारी को सुपुर्द की जिनके द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया।

17. जिरह में गवाह कथन करता है कि खनिज विभाग के किसी भी कर्मचारी के बयान लेखबद्ध नहीं किए। उसने बजरी का मिलान नहीं किया था। उसने किस स्थान से बजरी भरकर लाया उसका कोई अनुसंधान नहीं किया। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि घटनास्थल के आस—पास के किसी भी व्यक्ति से पूछताछ नहीं की। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि उसने नरेश कुमार कानि. व रामराज कानि. को लिखित में कोई नोटिस नहीं दिया।

18. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र इस आधार पर पेश किया गया है कि दिनांक 05.03.2020 को फर्द चैकिंग के दौरान उसके कब्जे से ट्रेक्टर नंबर आर.जे. 23 आर.सी. 3079 जो कि बजरी (रेत) से भरी हुई थी जब्त की गई थी, जिसके क्रम में हालांकि जब्ती के समस्त गवाहान् अभियुक्त के कब्जे से रेत भरी हुई ट्रैक्टर मय ट्रोली को जब्त करना न्यायालय के समक्ष साबित करते है, परन्तु अभियुक्त के विरूद्ध जो आरोपित अपराध है उसके संबंध में सर्वप्रथम अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि अभियुक्त के कब्जे से जो रेत जब्त हुई थी वह राजकीय नियंत्रणाधीन खनिज विभाग की सम्पत्ति की श्रेणी में आती है। चूंकि धारा 379 भा.दं.सं., 1860 के आरोप को प्रमाणित करने के लिए यह आवश्यक है कि जो सम्पत्ति चोरी की गई है वह उसके स्वामी की सहमति के बिना ले जायी गई है और ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में जो रेत जब्त होना बताई जाकर तथाकथित बजरी दर्शाई गई है वह सक्षम प्राधिकारी अथवा खनिज विभाग के स्वामित्व की सम्पत्ति रही हो यह साबित करना अभियोजन पक्ष के लिए अत्यंत आवश्यक था, परन्तु न्यायालय के समक्ष खनिज विभाग का ऐसा कोई प्राधिकारी बयानों हेतु उपस्थित नहीं हुआ है जो यह बता सके कि अभियुक्त के कब्जे से जो रेत जब्त हुई थी वह उनके विभाग के स्वामित्व की रही हो।

19. प्रकरण में मौके के गवाहान् के बयानों के अनुसार यह प्रकट आता है कि उनके द्वारा मात्र चालक अभियुक्त धनराज के बताये अनुसार यह माना गया था कि जब्तशुदा रेत उसके द्वारा कही से लाई गई थी, परन्तु किस स्थान से उक्त जब्तशुदा रेत लाई गई, कौनसी नदी से लाई गई इस बाबत् अनुसंधान अधिकारी ने कोई अनुसंधान न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं किया है, अपितु वह स्वयं यह स्वीकार करता है कि उसने खनिज विभाग वालों को मौके पर नहीं बुलाया और न ही उसने तफ्तीश की, अपितु अनुसंधान अधिकारी द्वारा रेवेन्यू पटवारी से भी जब्तशुदा रेत के संबंध में कोई तफ्तीश नहीं की। ऐसी स्थिति में जिस स्थान से उक्त रेत अभियुक्त द्वारा भरी गई उस बाबत् नक्शा मौका उस स्थान पर जाकर बनाया जाना भी आवश्यक था, जिसका भी पूर्णतः

अभाव पत्रावली में रहा है। मात्र अभियुक्त की स्वीकोरोक्ति के आधार पर यह तथ्य साबित नहीं हो जाता है कि जब्तशुदा रेत राजकीय नियंत्रणाधीन स्थान से लायी गई है, जब तक कि उसके संबंध में स्पष्ट तफ्तीश न की गई हो।

20. इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में जिस स्थान से अभियुक्त से वाहन मय माल जब्त होना दर्शाया गया है वह सामान्य आवाजाही वाला रास्ता है, फिर भी जब्ती कार्यवाही के समय किसी स्वतंत्र व्यक्ति को गवाह बनाये जाने की कोई आवश्यकता जब्ती अधिकारी ने नहीं समझी। ऐसी स्थिति में स्वतंत्र गवाहान् की मौजूदगी की संभावना होते हुए भी स्वतंत्र गवाह को वाहन एवं माल की जब्ती के समय गवाह नहीं बनाया जाना भी अभियोजन के मामले पर संदेह प्रकट करता है।

21. इसके अतिरिक्त प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा मात्र जब्तशुदा रेत के रंग के आधार पर ही उसे बजरी होना जाहिर किया है, जबकि उसकी जांच किसी सक्षम प्राधिकारी से भी नहीं कराई गई है जिससे कि जब्तशुदा रेत को बजरी होना साबित माना जा सके।

22. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा चलाये जा रहे ट्रैक्टर मय ट्रोली नंबर आर.जे. 23 आर.सी. 3079 में भरी हुई रेत के संबंध में उक्त रेत को किस स्थान से भरकर लाया गया, के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है और अभियुक्त द्वारा यदि किसी तथ्य का खुलासा किया गया है तो वह पुलिस अभिरक्षा में किए जाने के दौरान किए जाने से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संबंध में विस्तृत अनुसंधान नहीं किया है। किसी स्थान विशेष से रेत भरे जाने के संबंध में भी कोई गवाह न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह साबित नहीं है कि अभियुक्त धनराज द्वारा राजकीय नियंत्रणाधीन स्थान से उक्त रेत भरकर परिवहन किया जा रहा हो। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो पाया है।

23. इस प्रकार पत्रावली पर अभियोजन की ओर से पेश की गई संपूर्ण मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 05.03. 2020 को समय दिन के 2:37 बजे या उसके लगभग बमुकाम ग्राम चितावा नहर के पास, के.पाटन में राजकीय नियंत्रणाधीन सम्पत्ति खनिज बजरी (रेत) को बिना वैधानिक सहमति प्राप्त किए चोरी करने के आशय से कब्जे से हटाकर चुराया तथा खनिज बजरी (रेत) के खनन व परिवहन की रोक के संबंध में प्रख्यापित आदेश की जानकारी होने के बावजूद खनिज बजरी (रेत) को बिना वैधानिक सहमति प्राप्त किए अवैध खनन व परिवहन कर आदेश की अवहेलना की तथा राजकीय नियंत्रणाधीन सम्पत्ति खनिज बजरी (रेत) का अवैध खनन कर ट्रेक्टर ट्रोली में भरकर बिना वैधानिक सहमति प्राप्त किए

परिवहन किया। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 379 भा.दं.सं. 1860 व धारा 4/21 एम.एम.डी.आर. एक्ट में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

24. अतः **अभियुक्त धनराज** पुत्र छीतरलाल, निवासी एवरा, पुलिस थाना गेण्डोली, जिला बून्दी (राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 व धारा 4/21 एम.एम.डी.आर. एक्ट में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के पूर्व में नियमित उपस्थिति बाबत् पेश जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

25. अभियुक्त द्वारा प्रकरण में अपील होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने बाबत् धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत नियमित उपस्थिति बाबत् 10,000/— रूपये जमानत व इसी कदर राशि का मुचलका पेश करने के क्रम में उक्त जमानत मुचलके आगामी 06 माह तक प्रभावी रहेंगे।

26. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर मय ट्रोली नंबर आर.जे. 23 आर.सी. 3079 को पूर्व में ही उसके वाहन स्वामी की सुपुर्दगी में दिया जा चुका है, जो उसी के पास बना रहे। बाद गुजरने मियाद अपील अवधि सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा निरस्त समझे जावे।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन, जिला बून्दी

27. निर्णय आज दिनांक **15 मई, 2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन, जिला बून्दी